

राजस्थान सरकार
गृह(गुप-10)विभाग

क्रमांक:-प.24(16)(2)पद वर्गीकरण/विविध/अभि/23-00012(पार्ट-1)/

दिनांक:-

:-आदेश:-

वित्त विभाग द्वारा अभियोजन सेवा का दिनांक 27.09.2023 पुनर्गठन किया गया है, जिसमें उच्च पदों पर बढ़ोतरी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी के 44 पदों को समाप्त किया गया है। अतः अभियोजन निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारियों के 44 पदों को निम्नानुसार समाप्त किया जाता है:-

क्र.स.	कैडर रिव्यू में सहायक अभियोजन अधिकारी के समाप्त पद:-	
	समाप्त किये गये पद का नाम	पदों की संख्या
1	सहायक अभियोजन अधिकारी (लीव रिजर्व)	33
2	सहायक अभियोजन अधिकारी, पुलिस मुख्यालय CID(CB)	01

अभियोजन सेवा के कैडर पुनर्गठन में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों के क्रमोन्नत/नवसृजित होने के फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदों को अभियोजन अधिकारी में क्रमोन्नत किया गया है। जिसके फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों को निम्नानुसार समाप्त किया जाता है:-

क्र.स.	नवसृजित/क्रमोन्नत न्यायालय का नाम	सहायक अभियोजन अधिकारी के समाप्त किये गये पदों की संख्या
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी, नागौर	01
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लांडनू, नागौर	01
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर, श्रीगंगानगर	01
4	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ६ टडसाना, श्रीगंगानगर	01
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी, हनुमानगढ	01
6	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाँली, सवाई माधोपुर	01
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-02, किशनगढबास, भिवाडी(अलवर)	01
8	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियां, जोधपुर	01
9	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन, बाडमेर	01
10	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा, राजसमंद	01

यह आदेश वित्त (व्यय-4)विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी संख्या 102302065 दिनांक 27.09.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह(विधि)

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री(गृह), राजस्थान सरकार।

RajKaj Ref
6271660



3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
9. सम्बन्धित माननीय न्यायालय।
10. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन।
12. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
13. संस्थापन राजपत्रित/अराजपत्रित/पदोन्नति/लेखा/एसीआर/विधि शाखा।
14. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव, गृह(विधि)